

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 3071 वर्ष 2026**

बृजेश कुमार उर्फ छोटू

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....विरोधी पक्षकारगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : मोहम्मद उस्मान गनी खान, मोहम्मद फैसल

विरोधी पक्षकारगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 109(1), 127(2), 118(1), 352, 190, 191(3), 191(2), 3(5) बीएनएस, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में, उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथन हैं कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 27.01.2026 से जेल में है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त विशाल यादव तथा राम सिंह उर्फ राम सिंह यादव के समान है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक अपील संख्या 1276 वर्ष 2026 तथा 1286 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 08.06.2026 के आदेशों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किये जाने की दशा में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सह-अभियुक्त विशाल यादव तथा राम सिंह उर्फ राम सिंह यादव के जमानत आदेशों की छायाप्रति अभिलेख पर ली जाती है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना का विरोध करते हैं, किंतु निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त विशाल यादव तथा राम सिंह उर्फ राम सिंह यादव को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिपक्षी कथनों, सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार पर विचार करते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता का अवलोकन करने पर, मेरा मत है कि यह जमानत हेतु उपयुक्त मामला है। प्रार्थना पत्र समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक - **बृजेश कुमार उर्फ छोटू** को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36 वर्ष 2026 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा उतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(1) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा, जिसका वह अभियुक्त है, या संदिग्ध है, अथवा जिसके कारित किये जाने का वह संदिग्ध है।

(2) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(3) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त का पालन न होने की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(4) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 269 बीएनएस के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(5) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तब विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 209 बीएनएस के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(6) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (क) मामले के प्रारंभ, (ख) आरोप विरचन; तथा (ग) धारा 351 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जायेगा तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय इस विषय में जमानत निरस्तीकरण के संबंध में उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

10 जून, 2026

वी.के.एस.

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।